न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :—सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

जीसीएमएस : 2011/00015

प्र.सं. 15/2011

गोमती देवी बनाम नगरपालिका रायसिंहनगर आदि
अन्तर्गत धारा 88—53—188 आरटीएक्ट
प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

उपस्थिति :—
1.श्री जे.पी. गौतम वकील प्रार्थी (प्रतिवादी सं. 1)
2.श्री हरपालसिंह सूदन वकील अप्रार्थी (वादीगण)

—:निर्णय प्रार्थना पत्र :— दिनांक : 21.11.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी(प्रतिवादी सं.1) अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रायसिंहनगर ने दिनांक 25.10.2024 को प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूखण्ड के समस्त अधिकार उक्त दावा पेश करने से पहले व बाद में वादिया गोमती देवी ने अपना होना बतलाया है, जबकि दौराने दावा उक्त विवादित भूखण्ड प्रार्थी विष्णुदत को दिनांक 27/30.03. 2021 को जरिये पंजीकृत बैयनामा दे दिया गया था ओर अपने समस्त अधिकारों का हस्तांतरण कर दिया था। विवादित भूखण्ड दौराने दावा जब प्रार्थी के पक्ष में जरिये बैयनामा प्राप्त हो चुका था, तो प्रार्थी ने उक्त दावा में पक्षकार बनने का कोई प्रयास नहीं किया । इसलिए भी उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का कोई वाद कारण शेष नहीं होने के कारण उक्त दावा चलने योग्य नहीं है। वादिया का वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करने पर वकील अप्रार्थी (वादिया) को नकल दिलवाई गई। वकील अप्रार्थी (वादिया) जबाव प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत न करके सीधे ही बहस करने की सहमति दी है।
2. बहस पक्षकारान के अधिवक्तागण की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित भूखण्ड उनका जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 30.03.2021 द्वारा खरीद्व शुदा है। विवादित भूखण्ड दौराने दावा जब प्रार्थी के पक्ष में जरिये बैयनामा प्राप्त हो चुका था, तो प्रार्थी ने उक्त दावा में पक्षकार बनने का कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए भी उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का कोई वाद कारण शेष नहीं होने के कारण उक्त दावा चलने योग्य नहीं है। अतः अप्रार्थी (वादिया) का वाद —पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाने हेतु निवेदन किया है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में अपने वाद—पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र खारिज फरमाया जाने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभयपक्ष पक्षकारान की बहस सुनी गई। [illegible] अवलोकन किया गया । सीपीसी के प्रावधानों के [illegible] "उस प्रकार के [illegible] वादों के विषय में किसी भी **में इस संहिता में उपबन्धित** [illegible] अधिकारिता वाले **न्यायालय में की सभी कार्यवाहीयां** [illegible] किया जायेगा जहां **तक वह लागू की जा सके "** ऐसी स्थिति में प्रार्थी [illegible] यह कथन कि आ.

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.17 16:03:18 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

7 नि. 11 सीपीसी के प्रावधान प्रार्थना–पत्रों पर लागू होते है। मान्य है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार 6 आधारो पर ही वादपत्र/प्रार्थना पत्र ना मंजूर किया जा सकता है । (1) जहां वाद हेतूक नामंजूर किया जा सकता है। (2) जहां दावा कृत अनुतोष का मूलयांकन कम किया गया है। (3) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है, किंतु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्पपत्र लिया गया है। (4) जहां वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है। (5) जहां वाद दो प्रतियो मे फाईल नही किया जाता है। (6) जहां वादी नियम 9 के परन्तुकों का पालन करने में असफल रहता है। उक्त आधारों के तहत वाद पत्र को नामंजूर कर दिया जायेगां। अप्रार्थी (वादिया) द्वारा विवादित भूखण्ड समस्त अधिकार अपने बताये है जबकि पत्रावली में उपलब्ध बैयनामा दिनांक 30.03. 2021 के द्वारा अप्रार्थी(वादिया) द्वारा उक्त भूखण्ड साईज 13 गुणा 40 फुट कुल 520 वर्ग फुट भूमि का हस्तान्तरण विष्णुदत पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति विश्नोई निवासी वार्ड नं. 3 रायसिंहनगर को का दिया गया है। वादिया के समस्त अधिकार केता को प्राप्त हो चुके है। इस कारण प्रकरण में कोई वाद हेतुक शेष नही रहने के कारण प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है एवं वाद पत्र खारिज किया जाता है।

उक्त विवेचन के आधारों प्रार्थी (प्रतिवादी स.1) के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत **आदेश 7 नियम 11 सीपीसी** का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीया (वादिया) के द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 21.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाषचन्द्र)
उपखण्डअधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.17 16:03:18 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner